# राष्ट्रभाषा महात्मा गांधी की प्रेरणा

डॉ. शहनाज रफिक शेख
इतिहास विभाग प्रमुख
यशवंत महाविद्यालय
वायगांव (नि.) वर्धा, महाराष्ट्र.
shahanaj.ymy@gmail.com

**सारांश ( Abstract ) :-**

28 मार्च, 1918 को महात्मा गांधी ने मध्यप्रदेश के इंदौर में हिंदी साहित्य समिति भवन की नींव रखते हुए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का संकल्प लिया था। महात्मा गांधी की दृष्टि से विखंडित भारत राष्ट्र को अखंडित बनाने का कार्य अगर कोई भाषा कर सकती है, तो वह हिंदी भाषा है। भारत को एकता की एक माला में पिरौने का सही प्राबल्य अगर कोई भाषा में है तो वह भाषा केवल हिंदी भाषा ही है, ऐसा उन्हें लगता था। हिंदी भाषा को वे एकता का प्रतीक समझते थे। हिंदी को वे भावनात्मक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं मानते थे, अपितु उसकी राष्ट्र के लिए कितनी आवश्यकता है, इसे समझाने का भी प्रयास किया करते थे। हिंदी को वे एकता, अखंडता, स्वाभिमान, आदर, सम्मान और भाई-चारे की भाषा की दृष्टि से भी देखते थे। इसलिए उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उनके रचनात्मक कार्यक्रमों में राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार को अधिक महत्व दिया। उनके सारे विचार सत्य के प्रयोग से नि:सृत है। भाषा-नीति संबंधी उनके विचार भी समयानुकूल सार्वभौम पुष्ट प्रयोगों का सत्य स्वरूप है, जो समय की शिला पर शाश्वत है। जिसे संस्कार में डालने की आज भी जरूरत है। महात्मा गांधी के सपनों के भारत में से एक सपना राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठित करने का था, इसलिए वे कहा करते थे, 'राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है।' प्रस्तुत शोध पत्र में राष्ट्रभाषा हिंदी की आवश्यकता क्यों है? राष्ट्रभाषा हिंदी जनहित, समाज हित, राष्ट्रहित के लिए कैसे उपयोगी है? तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को वह कैसे जोड़े रखती है, इसका विवरण गांधीजी के दृष्टिकोण से इस शोध पत्र द्वारा स्पष्ट किया गया है।

**शब्दकोश (Keywords) :-**

राष्ट्रभाषा से अभिप्राय, गांधी विचारों द्वारा राष्ट्रभाषा एकता का प्रतीक, राष्ट्रभाषा हिंदी की विशेषता, सभी संप्रदायोंद्वारा प्रचलित, जनसंपर्क का माध्यम, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण भारत में राष्ट्रभाषा का प्रचार, राष्ट्रभाषा हिंदी की आवश्यकता, गांधी दृष्टि से भाषाई समस्या का समाधान।

**अनुसंधान के उद्देश्य (Objective of Research paper):-**

1. राष्ट्रभाषा हिंदी की विशेषता और आवश्यकता को अधिक स्पष्ट करना।
2. राष्ट्रभाषा हिंदी यह महात्मा गांधी की दृष्टिकोण से, उनके सपनों के भारत में क्यों निहित थी इसे स्पष्ट करना।
3. राष्ट्रभाषा हिंदी व्यवहारीक, जनसंपर्क, एकता, अखंडता की भाषा गांधीजी की दृष्टि से कैसे सिद्ध होती है, इसका विवरण करना।

**परिचय:-(Introduction)**

भाषा केवल व्यक्ति की ही नहीं राष्ट्र की सबसे बड़ी पहचान है। जिन मूलभूत तत्वों के कारण कोई देश राष्ट्र कहलाता है, उनमें राष्ट्रीय संविधान,राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगीत के साथ ही राष्ट्रभाषा का भी अपना

महत्वपूर्ण स्थान है। स्वामी दयानंद सरस्वती से लेकर राजा राममोहन रॉय और केशवचंद्र सेन तक ने जिसे आम जन तक पहुंचाने की कोशिश की तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। उसके पीछे असली मनोवृत्ति यही थी कि हिंदी किसी एक क्षेत्र अथवा समुदाय विशेष की न होकर विस्तृत जन संपर्क की भाषा है। जिसे राष्ट्र की अधिकांश जनसंख्या चाहे वह साक्षर हो अथवा निरीक्षर जानती या समझती है। गांधीजीने इस पर सर्वाधिक बल दिया कि अपने देश में अपनी ही कोई भाषा राष्ट्र की सही पहचान बने। एक और उन्होंने इसे राष्ट्रीय आंदोलन का अंग बनाया वहीं दूसरी और राष्ट्र के सम्मान का सूचक। उनके प्रयासों तथा प्रेरणा का ही फल था कि दक्षिण भारत में भी इसे स्वीकार किया तथा राजगोपालाचारी से लेकर टी प्रकाशम ने इसमें अपनी सहमति जताई। [1](हिंदी राष्ट्रभाषा, राजभाषा, पृष्ठ 5)

**राष्ट्रभाषा से अभिप्राय:-**

राष्ट्रभाषा से अभिप्राय देश की उस भाषा से है, जो संपूर्ण देश से संबंधित कार्य परंपराओं का माध्यम हो एवं जिसमें अंतरराष्ट्रीय कार्यकलापों का भी साहित्य सुरक्षित रहे। किन्तु राष्ट्रभाषा के साथ प्रांतीय भाषाओं का भी साहित्य सुरक्षित रहें। राष्ट्रभाषा के साथ प्रांतीय भाषाओं का भी उतना ही महत्व है, उनमें से हिंदी विभूषित है। सामान्यतया राष्ट्रभाषा वह होनी चाहिए, जिसके बोलने वाले सर्वाधिक हो, जो सुबोध एवं सहजगम्य हो जिसमें प्राचीनता का गौरव निहित हो जिससे देश की सभ्यता एवं संस्कृति सुरक्षित रह सके। तथा जिसकी लोकभाषा, संस्कृत से निकटतम संबंध रखने के कारण वर्तमान राष्ट्रभाषा हिंदी में उपयुक्त सभी गुण विद्यमान है।

**गांधी विचारों द्वारा राष्ट्रभाषा एकता का प्रतीक:-**

राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का दावा सैद्धांतिक उपज था। राष्ट्रभाषा की कल्पना एक ऐसी राष्ट्रीय बिरादरी बनाने के साधन के रूप में हुई जो सबके लिए खुली होंगी और एकता की भावना प्रदान करेगी। इस पर सन 1918 के इंदौर में हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन के 26 वें अधिवेशन में अध्यक्ष पद से गांधीजी ने, "अगर हिंदुस्तान को हमें सचमुच एक राष्ट्र बनाना है तो राष्ट्रभाषा हिंदी ही बन सकती है क्योंकि जो स्थान हिंदी को प्राप्त है, वह किसी दूसरी भाषा को कभी मिल नहीं सकता।" देश को एकता प्रदान करने में राष्ट्रभाषा हिंदी की सबसे प्रमुख भूमिका है। भारत को शक्तिशाली और समृद्ध बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हमारा समाज संपूर्ण देश एकता की कड़ी में पिरौया हुआ हो।[2] (हिंदी परिचय ग्रंथ, पृ. 7) हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने वाले देश के नेता उसके समर्थन में बापू को दिवंगत आत्मा की दुहाई देते और इस भाषा के प्रचार को हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रथम साधन बताने लगे थे।[3] (राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पृ.83)

**राष्ट्रभाषा हिंदी की विशेषता:-**

हिंदी को यह महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने योग्य बनने में उसके लिखने -पढ़ने व बोलने की सुगमता तथा सरलता आदि गुण तो रहे हैं, परंतु इसका मुख्य कारण तो इसका बहूव्यापक प्रचार तथा स्त्रसाह होता है, अर्थात देश की जितनी जनसंख्या हिंदी को समझने अथवा उसका प्रयोग करने वाली है, उतनी जनसंख्या अन्य समस्त भाषा भाषियों की मिलकर भी नहीं है। हिंदी की इस विशेषता का उल्लेख राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन शब्दों में किया था, "हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं। वहीं राष्ट्रीय होने लायक है। वही भाषा राष्ट्रीय बन सकती है, जिसे अधिक संख्या में लोग जानते बोलते हो, और जो सीखने में सुगम हो और इसका कोई ध्यान देने योग्य विरोध भी आज तक सुनने में नहीं आया है।" [4] (राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पृ. 109)

**सभी संप्रदायों द्वारा प्रचलित:-**

यह प्रत्येक वैज्ञानिक, राजनैतिक और धार्मिक शब्दों का भंडार है। सारे भारत को एकता की श्रृंखला में रखना हिंदी भाषा और उसकी देवनागरी लिपि को रखने का श्रेय है। संपूर्ण भारत में हिंदी भाषा बोलने वाले तथा समझने वाले बहुत संख्या में विद्यमान है। अंग्रेजों के शासन काल में हिंदी संस्कृत भाषा को मातृभाषा के नाम से पुकारा जाता था। उस समय सर्व प्रथम आर्यसमाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती

ने संस्कृत के साथ हिंदी में वेदभाष्य किए। अभी तो कुरान,बाइबल तक हिंदी भाषा में उपलब्ध है।[5] (राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पृ.69)

**जनसंपर्क का माध्यम :-**

भारत के प्रांतीय प्रशासन को जनसंपर्क बनाए रखने के लिए ऐसे माध्यम की आवश्यकता है, जिसे सामान्य नागरिक सहज ही समझ सके और वह माध्यम हिंदी भाषा है। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिनमें हर भाषा-भाषी का रक्त जैसा संबंध है, और जिस तरह रक्त संबंध हर चुभन और पीड़ा पर सहयोग हो जाता है। हिंदी के विरोध में या कि हिंदी के पथ को अवरुद्ध होते समय हर भारतीय की ऐसी स्थिति सहज ही देखी जा सकती है। यह सत्य है कि हर व्यक्ति,अच्छी हिंदी बोल, लिख और पढ़ सकता है। मगर यह भी सच है कि हिंदी में यदि कुछ लिखा, कहा, सुना जाए तो वह अवश्य समझ सकता है।

**राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा :-**

महात्मा गांधी की प्रेरणा से सन 1936 मे हिंदी साहित्य सम्मेलन नागपुर में हुआ, जिसके सभापति देशरत्न डॉ राजेंद्र प्रसाद थे। एक प्रस्ताव के अनुसार हिंदी के व्यापक प्रचार के लिए प्रचार समिति का केंद्रीय कार्यालय वर्धा महाराष्ट्र में निर्माण हुआ। इस समिति की नींव गांधीजी के करकमलों द्वारा वर्धा में रखी गई, जिसके कार्य का विस्तार एक महान वटवृक्ष की तरह भारत भर में और विदेशों में भी व्याप्त है। जो **"एक हृदय हो भारत जननी"** के मूल मंत्र को लेकर राष्ट्रीय भावना से राष्ट्रभाषा प्रचार का कार्य कर रहे हैं। हिंदी भाषी विद्वानों को 'महात्मा गांधी' पुरस्कार दिया जाता है। जिसने लेखनीद्वारा राष्ट्रभाषा की उल्लेखनीय सेवा की हो। [6] (राष्ट्रीय परिचय ग्रंथ, पृ.56-58)

**महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण भारत में राष्ट्रभाषा का प्रचार:-**

गांधीजी ने देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए जो रचनात्मक कार्यक्रम निश्चित किए, उसमें हिंदी प्रचार कार्य को महत्व का स्थान है। जब उन्होंने हिंदी की व्यापकता और उसकी शक्ति को पहचाना तो उसके वे प्रबल समर्थक एवं प्रचारक हो गए। सन 1918 में इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन के वे सभापति बनाए गए, तब से उन्होंने हिंदी प्रचार के लिए ठोस और सक्रिय कदम उठाया। अतः उन्होंने दक्षिण में हिंदी प्रचार कार्य को सर्वोपरि महत्व दिया। सन 1918 में उन्होंने अपने पुत्र स्वर्गीय देवदास गांधी को दक्षिण में हिंदी का संगठनात्मक रूप से प्रचार करने का सूत्रपात किया। इसके पश्चात हमेशा हिंदी के महत्व पर जोर देते रहे। उनका कथन था कि, **"बिना राष्ट्रभाषा के राष्ट्र गुंगा है।"** इस प्रकार उन्होंने जीवनभर हिंदी प्रचार के लिए सफल प्रयत्न किया तथा इस कार्य को प्रेरणा दी।[7](राष्ट्रभाषा रजत जयंती, पृ. 561) इसका प्रभाव संपूर्ण भारतवर्ष में होने लगा और हिंदी कार्यक्रम को भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षपूर्ण कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा। इसके लिए इंदौर साहित्य सम्मेलन से ही उन्होंने हिंदी प्रचार का श्री गणेशा कर दिया।

**राष्ट्रभाषा हिंदी की आवश्यकता :-**

राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकास में महात्मा गांधी का योगदान अभूतपूर्व रहा। उन्होंने अपनी बात स्पष्ट करते हुए हिंदी को **'मीठी नम्र और ओजस्वी'** स्वीकार किया। हिंदी भारत का राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो इसके लिए गांधीजी ने पहली सशक्त आवाज 18 अगस्त 1906 को दक्षिण अफ्रीका से 4 भाषाओं में प्रकाशित साप्ताहिक पत्र **'इंडियन ओपिनियन'** के माध्यम से उठाई थी। इसमें उन्होंने अपनी मातृभाषा गुजराती में एक पृष्ठ का लेख लिखा था, जिसका शीर्षक था, **'भारत भारतीयों के लिए।'** इसमें उन्होंने हिंदी को लोगों की राष्ट्र भावना से जोड़ते हुए इसकी खूबियां गिनायी थी। उन्हीं के शब्दों में, "जब तक भारत को विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले भारतीयों में से ज्यादातर लोग एक ही भाषा नहीं बोलने लगेंगे तब तक वास्तविक रूप में भारत एक राष्ट्र नहीं बन सकता।" एक भाषा होने का प्रभाव विलक्षण है। एक भाषा न होने से सच्चा देशाभिमान कभी उतपन्न नहीं हो सकता तथा परस्पर एकता कभी उत्पन्न नहीं हो

सकती। परस्पर प्रेम भाव भी कभी उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए एक देशव्यापक भाषा की परम आवश्यकता है।

**गांधी दृष्टि से भाषाई समस्या का समाधान :-**

गांधीजी देश की भाषा समस्या का समाधान तीन प्रतिप्रेक्ष्य में चाहते थे ।

1 जनहित,सामाजहित व राष्ट्रहित

2. राष्ट्रीय अस्मिता एंव स्वाभिमान

3. राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता

इसके अतिरिक्त भाषा के सवाल पर भारत में अपने संदर्भ में गांधीजी तीन बातें बहुत जरूरी मानते थे।

1. प्रत्येक भारतवासी अपनी मातृभाषा के साथ हिंदी को जरूर सीखे।

2. देश के लोगों को अन्य भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए मुसलमानों और पारसियों के लिए अगर संस्कृत की जानकारी उपयोगी है,तो हिंदुओं के लिए अरबी और फारसी की। इसी तरह उत्तर भारत के लोगों के लिए दक्षिण भारत की भाषाओं की जानकारी।

3. जहां तक लिपि का सवाल है, उर्दू या नागरी दोनों के उपयोग की छूट होनी चाहिए, क्योंकि इससे विचार परंपरा को ठीक रखने में मदद मिलेगी।[8] (गांधी और राष्ट्रभाषा पृ.75-87)

**निष्कर्ष :-**

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी का उत्तरदायित्व और बढ़ गया। आज हमारे केंद्रीय शासन में अंग्रेजी का व्यवहार हो रहा है। उसका स्थान हिंदी को लेना है। आज हिंदी की धारा हरिद्वार के पास की गंगा की धारा सी है। वह दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी और गंगा के समान अपना प्रगाढ रुप कुछ ही समय में ग्रहन करेंगी। भारत के विभिन्न प्रदेशों में जो सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रवृत्तियां चल रही है। उनमें सामंजस्य स्थापित करने का कार्य हिंदी को ही करना है। प्रांत-प्रांत के बीच खाइया है, उन्हें खत्म करने का कार्य भी हिन्दी के द्वारा ही होगा। इस प्रकार हिंदी का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। पर उनके लिए सबके सहयोग की आवश्यकता है। हिंदी भाषी क्षेत्रियों को ही नहीं, अहिंदी भाषियों को भी। सारे भारत का आज हिंदी पर दावा है, तथा वह जनता जनार्दन की भाषा होकर रहेगी। गांधीजी ने जिस आत्मविश्वास के साथ राष्ट्रभाषा का प्रचार किया उसी आत्मविश्वास को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रभाषा हिंदी को विकसित करना हमारा परम कर्तव्य है। उनकी राष्ट्रभाषा के प्रति यह प्रेरणा सदैव स्मरणीय रखना आवश्यक है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची** :-

1) सिंह, शंकर दयाल, हिंदी राष्ट्रभाषा, राजभाषा जनभाषा, किताब घर प्रकाशन, नई दिल्ली,प्रथम संस्करण 2004

2) संपा. जोशी कीर्तीलाल, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिंदी नगर,वर्धा (महाराष्ट्र), प्रथम संस्करण,1962

3) संपा. पटेल बाबूभाई काशीभाई, हिंदी परिचय ग्रंथ, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, प्रथम संस्करण 1967

4) डॉ. चौरसिया सुनीता, गांधी और राष्ट्रभाषा, हिंदी कल्पना प्रकाशन दिल्ली, प्रथम संस्करण 2014

5) संपा. जोशी श्री कांतिलाल, रजत जयंती ग्रंथ, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा महाराष्ट्र, प्रथम संस्करण, 1962